GCMS No - 2022/221

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

उदी वगै बनाम गोमति वगै

किस्म मुकद्मा 225 आरटीए

नम्बर 48/2022
जीसीएमएस संख्या...../2022/221

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20–06–22	अभिभाषक अपीलांट श्री राधाकिशन स्वामी उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके गांव शरहगोलप्रतापसिंह के खेत खसरा नम्बर 263/2, खसरा नम्बर 326/104, खसरा नम्बर 2, खसरा नम्बर 208/2 व खसरा नम्बर 7 में कुल 17.90 हैक्टर भूमि पर पक्की ढाणी व कुण्ड बनाकर अपने परिवार सहित आबाद चले आ रहे हैं जिस पर अपीलांटस का कानूनन कब्जाकाश्त है। रेस्पोडेन्टस, अपीलांट की भूमि के पास की भूमि धारण करते हैं जो सीमाज्ञान को लेकर अपीलांट से आए दिन झगड़ा करते हैं। इस संबंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर बीकानेर में 212 आरटीए के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे दिनांक 15.06.2022 को अदालत मातहत ने यह कहकर खारिज कर दिया कि प्रकरण सीमाज्ञान का है अतः दोनों पक्षों की सुनवाई कर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस अपील के माध्यम से न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश फरमावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 15–06–2022 को जारी एकतरफा आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 225 आरटीए के तहत दिनांक 20–06–2022 को प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति की मांग की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थी की धारा 212 आरटीए की प्रार्थना खारिज करते हुए प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11–08–2022 अभिनिर्धारित की गई व अप्रार्थीगणों को असालतन या वकालतन उपस्थित होते हुए अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालना में प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों पक्षों के उनके समक्ष उपस्थित आने के बजाय न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित आते हुए उक्त आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम श्रेणी का आदेश है। जिस पर पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होना शेष है। धारा 225 आरटीए में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:–

An appeal shall lie from the final order passed on an application of the nature specified in the Third Schedule and from such other orders as are mentioned in section 212 of this Act.,

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 225 आरटीए के तहत अदालत मातहत द्वारा धारा 212 के तहत पारित अंतिम निर्णय की अपील के प्रावधान निहित है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा धारा 212 आरटीए पर अपना अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है लिहाजा प्रस्तुत अपील में गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना अपीलांट् को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी नियत दिनांक को उपस्थित होकर अपना मत व्यक्त करें। अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से अदालत मातहत द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के विरूद्व किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।